भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2734
उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

छात्रवृत्तियों को बंद किया जाना और उनमें कटौती

2734 **श्री राजीव शुक्ला:**
क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति अथवा विद्यार्थी सहायता योजना को बंद किया है, उसका विलय किया है अथवा उसके लिए आवंटन में कमी की है;
(ख) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा ऐसे निर्णयों के क्या कारण हैं;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति राशि के विलंब से अथवा जारी न होने के कारण प्रभावित हुए विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
(घ) पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों तथा अध्येतावृत्तियों का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने वर्ष 2023-24 में चार छात्रवृत्ति योजनाओं नामतः i) पीजी एकल बालिका छात्रवृत्ति, (ii) विश्वविद्यालय रैंक धारकों हेतु पीजी छात्रवृत्ति, (iii) व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत एससी/एसटी विद्यार्थियों हेतु पीजी छात्रवृत्ति और (iv) गेट/जीपैट हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति का विलय कर के स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (एनएसपीजीएस) शुरू की है।

एनएसपीजीएस के अंतर्गत**,** देश के अंदर एक शैक्षणिक वर्ष में **10** माह के लिए ₹15,000 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर डिग्री हेतु उच्चतर शिक्षा में अध्ययन हेतु दो वर्षों तक प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति के लिए कुल 10,000 स्लॉट हैं**,** जिनमें से 30% स्लॉट महिला अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित हैं। यूजीसी ने पूर्ववर्ती स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति**,**

जिसमें पीएच.डी डिग्री प्राप्ति हेतु शोध अध्ययनरत पात्र एकल बालिका को अध्यातवृत्ति प्रदान की जाती है को संशोधित कर सितंबर 2022 में सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले एकल बालिका अध्येतावृत्ति भी शुरू की है।

इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख हेतु प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति योजनाओं नामक छात्रवृत्ति योजनाएं वर्ष **2021-22** के बाद प्रचालन में नहीं हैं। अन्य मंत्रालयों/विभागों की समान योजनाओं की अतिव्याप्ति के कारण मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एमएएनएफ) योजना को भी वर्ष 2022-23 से बंद कर दिया गया है, मौजूदा लाभार्थियों को विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्येतावृत्ति प्रदान किया जाना जारी है।

(ग) और (घ): सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां/अध्येतावृत्तियाँ संवितरित कर रही है। लाभार्थियों को केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति का समय पर संवितरण सुनिश्चित करने के लिए, छात्रवृत्ति की राशि सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से संवितरित की जाती है। केंद्रीय प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का समय पर संवितरण करते हुए, निधियों का संवितरण एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जो निधियों की वास्तविक, उपयोगिता आधारित निगरानी को सक्षम बनाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, केन्द्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक और उच्चतर शिक्षा अध्ययन को जारी रखने के लिए लगभग 1.09 करोड़ छात्रवृत्तियाँ प्रदान की हैं। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और विमुक्त जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए लगभग 36 लाख छात्रवृत्तियाँ; अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए लगभग 48 लाख छात्रवृत्तियाँ, और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए लगभग 24 लाख छात्रवृत्तियाँ शामिल है।
